फर्द अहकाम

(मिसल [illegible])

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाड़ा)

[illegible] पिता [illegible] मीणा नि. केसरपुरा [illegible]

बनाम

[illegible] पिता [illegible] मीणा नि. केसरपुरा [illegible]

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111. 128 एल आर ए. मुकदमा नं. [illegible]/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
12-08.22	प्रार्थना पत्र [illegible] के बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम केसरपुरा प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2502 कुल किता 01 रकबा 0.3076 हैक्टेयर** स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम केसरपुरा प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2502 कुल किता 01 रकबा 0.3076 हैक्टेयर** की पड़ौसियान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उसमे से 100 रू. राजकोष मे जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 12-08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाड़ा)	

Scanned with CamScanner